


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री भैरूसिंह पुत्र बालूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव देसलसर तहसील नोखा हाल निवासी नृसिंगसागर तालाब के पास सर्वोदय बस्ती, बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा प्रथम सूचना अपील संख्या 197/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट, 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30.10.17</p>	<p style="text-align: center;">: निर्णय :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उभयपक्ष हाजिर नहीं। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 19.07.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपने जवाब पत्रांक 2274 दिनांक 22.9.17 से अवगत करवाया है कि वांछित सूचना प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित की गई सूचना के विपरीत अपीलान्ट की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी सूचना से संतुष्ट है। 5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 30.10.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">  (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर </p>	